प्रकरण संख्या :— 31/25
उनवान :— हरिप्रसाद बनाम सरकार
निर्णय दिनाँक :— 06.01.2026

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मनोहरथाना
जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारीः— पुष्कर कुमार मित्तल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 31/25

दायर दिनाँक :— 04.06.2025

निर्णय दिनाँकः— 06.01.2026

उनवान

1. हरिप्रसाद पिता गोप्या जाति खाती निवासी सेमलीहाट हाल मुकाम पिपल्या जागीर पंचायत खोपर तहसील छबडा जिला बांरा

.... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तह0 मनोहरथाना

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :— 1 श्री घनश्याम मीणा नायब तहसीलदार, सरकार पैरोकार

2 श्री गजेन्द्र नामा, अधिवक्ता प्रार्थी

—: निर्णय :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, प्रार्थी हरिप्रसाद पिता गोप्या जाति खाती निवासी सेमलीहाट हाल मुकाम पिपल्या जागीर पंचायत खोपर तहसील छबडा जिला बांरा ने जरिए अधिवक्ता दिनांक 04.06.2025 को उपस्थित न्यायालय होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि ग्राम सेमलीहाट तहसील मनोहरथाना की खाता संख्या नया 238 (पुराना 206) के खसरा संख्या 154 की आराजी 0.4452 हेक्टेयर , खसरा संख्या 387 की आराजी 0.0405 हेक्टेयर एवं खसरा संख्या 771 की आराजी 0.0243 हेक्टेयर कुल किता 03 की कुल आराजी 0.5100 हैक्टेयर प्रार्थी एवं अन्य सह—खातेदारान के शामलाती खाते दर्ज रिकार्ड है।

प्रार्थना—पत्र में आगे उल्लेख किया गया है कि उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम हजारी पुत्र गोप्या दर्ज हो रहा है, जो लिपिकीय त्रुटी से दर्ज हुआ है जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तवितक नाम हरिप्रसाद पिता गोप्या है। जैसा कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, आदि सरकारी दस्तावेजों में प्रमाणित है।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

प्रकरण संख्या :– 31/25
उनवान :– हरिप्रसाद बनाम सरकार
निर्णय दिनाँक :– 06.01.2026

प्रार्थी ने तहसीलदार मनोहरथाना को नाम संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र दिया था, किन्तु कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई। अतः प्रार्थी ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम हजारी पुत्र गोप्या के स्थान पर हरिप्रसाद पुत्र गोप्या संशोधित किया जाए और राजस्व अभिलेखों में इसका संशोधन प्रभावी रूप से अमल में लाया जाए। साथ ही न्यायालय से प्रार्थी को आवश्यक व्यय, वाद के खर्च और अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान करने की भी प्रार्थना की गई है। प्रार्थी ने इस प्रार्थना–पत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

इस प्रार्थना–पत्र को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मनोहरथाना में प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गौरपूर्वक अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। बाद अवलोकन एवं मनन प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम सेमलीहाट तहसील मनोहरथाना की खाता संख्या नया 238 (पुराना 206) के खसरा संख्या 154 की आराजी 0.4452 हेक्टेयर , खसरा संख्या 387 की आराजी 0.0405 हेक्टेयर एवं खसरा संख्या 771 की आराजी 0.0243 हेक्टेयर कुल किता 03 की कुल आराजी 0.5100 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम '' हजारी पुत्र गोप्या '' के स्थान पर '' हरिप्रसाद पिता गोप्या '' दर्ज किये जाने एवं राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज **दिनांक 06.01.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर,मनोहरथाना